# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरियां, RAS

अपील संख्या 79 / 2019

1 जुबेदा बेवा स्व. यासीन उम्र 75 वर्ष
2 अब्दुल सलाम पुत्र स्व. यासीन उम्र 55 वर्ष
3 अब्दुल करीम पुत्र स्व. यासीन 53 वर्ष
4 फारूक पुत्र स्व. यासीन उम्र 45 वर्ष समस्त जाति मुसलमान (कसाई) निवासीगण चुरू रोड़, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मु. जैतुन बेवा स्व. अब्दुल मजीद
2 अब्दुल रूऊफ पुत्र स्व. अब्दुल मजीद
3 अब्दुल अजीज पुत्र स्व. अब्दुल मजीद
4 अब्दुल हमीद पुत्र स्व अब्दुल मजीद
5 अब्दुल पुत्र स्व. अब्दुल मजीद समस्त जाति मुसलमान कसाई निवासीगण वार्ड नम्बर 45, पिपली चौक, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
6 तायरा पुत्री स्व. अब्दुल मजीद पत्नी अब्दुल रसीद जाति मुसलमान कसाई निवासी वार्ड नं. 2, मस्जिद तकबा के पास, बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
7 मु. जेहरा पुत्री स्व. अब्दुल मजीद पत्नी शरीफ जाति मुसलमान कसाई निवासी वार्ड नम्बर 2, पुरानी मस्जिद के पास, चुड़ी, अजीतगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

पदेन राजस्व अपील अधिकारी एवं मु.प्रबन्ध अधिकारी सीकर

8 मु. शबनम पुत्री स्व. अब्दुल मजीद पत्नी बिलाल जाति मुसलमान कसाई निवासी वार्ड नम्बर 2, मस्जिद के पास, मौहल्ला व्यापारियान, गांगियासर जिला झुन्झुनू (राज.)

9 मु. नजमा पुत्री स्व. अब्दुल मजीद पत्नी मो. असलम जाति मुसलमान कसाई निवासी पिपली चौक, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू (राज.)

10 इब्राहिम पुत्र स्व. हाजी समदा जाति मुसलमान कसाई निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

11 मो. युसुफ पुत्र स्व. हाजी समदा जाति मुसलमान कसाई निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

12 अयुब पुत्र यासीन

13 रहीम पुत्र यासीन

14 सफीक पुत्र यासीन

15 आमीना बेवा स्व अहमद

16 मो. अली पुत्र स्व. अहमद

17 आरीफ पुत्र स्व. अहमद

18 अब्दुल वाहीद पुत्र स्व अहमद

19 अब्दुल रसीद पुत्र स्व. अहमद

20 अब्दुल वासीद पुत्र स्व अहमद

21 रूकसाना पत्नी सफी समस्त जाति मुलसमान कसाई निवासीगण चुरू रोड़, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

22 भूमि धारक, तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर (राजस्थान)

अपील विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2019 व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.09.2017, शीर्षक अब्दुल मजिद बनाम जुबैदा वगैरह, दावा बबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 83/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जिनेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 08/2/24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 (प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.09.2017) के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 1028 वाके ग्राम झुंझुनू के सन्दर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि हाजी समता की खातेदारी की थी। हाजी समता के जमीला भी वारिस थी। विचारण न्यायालय में वाद संख्या 86/2013 में जमीला को पक्षकार नही बनाया। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... अपील अधिकारी

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का विधि सम्मत निस्तारण नही किया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट को रास्ता नही दिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना कर पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 86/2013,127/2014 विवादित भूमि खसरा नम्बर 1028 के सन्दर्भ में थे। विचारण न्यायालय ने दोनो दावों को समेकित कर लिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व एक ही प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 86/2013,127/2014 विवादित भूमि खसरा नम्बर 1028 के सन्दर्भ में थे। विचारण न्यायालय ने दोनो दावों को समेकित कर लिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व एक ही प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरियां)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर